

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
शृंखला न्यायालय-बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

C.R.A./19/2017

F.No. CRA/553/2017

CNR0MP50050008832017

संस्थित दिनांक - 16.03.2016

ईतवारी मरावी पिता रामसिंह मरावी उम्र 40 वर्ष जाति गोंड
निवासी-ग्राम हर्राटोला संजारी थाना गढ़ी तहसील बैहर
जिला-बालाघाट

अपीलार्थी

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र- गढ़ी

तहसील बैहर जिला बालाघाट

उत्तरवादी

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.-209/2013 में पारित निर्णय
दिनांक 01.03.2016 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के
अंतर्गत यह दण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक 04 अप्रैल 2016 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त ईतवारी द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं.
के, श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा
आपराधिक प्रकरण क्रमांक 209/2013 शासन बनाम ईतवारी मरावी, में पारित
निर्णय दिनांक 01.03.2016 से परिवेदित होकर पेश की गई है।

2. अभियोजन मामले का सार यह है कि दिनांक 24.01.2013 के
शाम करीब 7 बजे ग्राम संजारी का हर्राटोला थाना गढ़ी में हिरोंदाबाई के घर में
अभियुक्त ईतवारी जो हिरोंदाबाई का सगा जेठ है, ने आकर अश्लील गालियां

दी। हिस्सा-बंटवारा नहीं दिया कहकर गाली दी, गाली देने से मना करने पर कुल्हाड़ी से मारा, बीच बचाव करने आयी दनसीबाई और कमलीबाई को भी मारा, चोट आयी है, आशय की प्रथम सूचना लेख कराने पर अपराध क्रमांक 3/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 456, 506 बी. भा.द.वि. के अधीन कायमी कर गनेशीबाई, हिरोंदाबाई की आयी चोटों का परीक्षण हेतु आवेदन लेख कर परीक्षण कराया गया। हिरोंदाबाई का एक्सरे कराया गया। घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया, आरोपी से साक्षीगण के समक्ष कुल्हाड़ी जप्त की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन न करते हुए विधि विपरीत निष्कर्ष निकालकर त्रुटि की है। चिकित्सक साक्षी द्वारा साधारण चोट आना बताया गया है, जो कुल्हाड़ी से नहीं आयी होगी। मामले में हितबद्ध साक्षियों के कथनों पर विश्वास कर त्रुटि की है। अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध विधि अनुसार प्रमाणित नहीं होता है, प्रमाणित मानकर त्रुटि की है, अपील स्वीकार कर दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

4. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क.209/13, शासन विरुद्ध ईतवारी, निर्णय दिनांक 01.03.2016 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

5. **हिरोंदाबाई (अ.सा.1)** ने साक्ष्य दी है कि आरोपी उसका जेठ है। घटना एक वर्ष पूर्व शाम 7 बजे की है। साक्षी अपने घर पर थी। आरोपी साक्षी के घर आया और गंदी गंदी गालियां देना लगा, कुल्हाड़ी से दाहिने गाल पर मारा जिससे साक्षी को खून निकलने लगा। खेती बाड़ी को लेकर आरोपी ने झगड़ा किया था जिसकी रिपोर्ट थाना गढ़ी में प्र.पी. 1 की थी जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। शासकीय अस्पताल बैहर में उसका उपचार हुआ था। पुलिस ने

कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पत्र प्र.पी. 2 तैयार किया था, पुलिस ने कथन लिए थे। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि आरोपी ने साक्षी के साथ मारपीट नहीं की। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने पुलिस के कहने पर थाने में प्र. पी. 1, प्र.पी. 2 पर हस्ताक्षर किए थे। उनके मध्य जमीनी विवाद पूर्व से चल रहा है स्वीकार किया है, किंतु यह इंकार किया है कि जमीनी विवाद के कारण झूठी रिपोर्ट की है।

6. **गनेसीबाई (अ.सा.2)** ने साक्ष्य दी है कि आरोपी को जानती है। हिरोंदाबाई साक्षी की बहन है। घटना एक वर्ष पूर्व शाम 7:00 बजे हिरोंदाबाई के घर की है, तब साक्षी हिरोंदाबाई के घर में थी। आरोपी ने दौड़कर हिरोंदाबाई को कुल्हाड़ी मार दी जिससे उसके गाल में चोट आयी, खून निकल रहा था, साक्षी ने बीच बचाव की तो उसे भी मार दी, ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय घर के अंदर थी, किसने, किसको मारा नहीं देखा। स्वतः कहा कि साक्षी की बहन हिरोंदाबाई गिर गई थी जिसे उठाने के लिए वह गई तब आरोपी ईतवारी ने साक्षी को कुल्हाड़ी से मारा था। यह इंकार किया है कि बीच बचाव करने के दौरान गिर जाने से उसे चोट आयी थी। यह इंकार किया है कि पुलिस ने बयान नहीं लिया।

7. **कमलीबाई (अ.सा.3)** ने साक्ष्य दी है कि हिरोंदाबाई उसकी बेटी है। ईतवारी हिरोंदाबाई का जेठ है। करीब दो वर्ष पूर्व साक्षी हिरोंदाबाई के घर पर थी। घटना दिनांक को आरोपी कुल्हाड़ी लेकर साक्षी के बेटी के सामने आया, हिरोंदाबाई को गाल पर कुल्हाड़ी से मार दिया। साक्षी की छोटी बेटी गनसी बीच बचाव करने गई तो आरोपी ने उसे भी कुल्हाड़ी से मारा, पुलिस ने बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि हिरोंदाबाई ने आरोपी के साथ मारपीट की थी। हिरोंदाबाई शराब पी हुई थी इंकार किया है। घटना के समय अंधेरा होना स्वीकार किया है। यह इंकार किया है कि आरोपी और हिरोंदा के बीच अंधेरे में झूमा झपटी हो गई थी। यह इंकार किया है कि अंधेरा होने के कारण साक्षी ने आरोपी को मारपीट करते नहीं देखा। यह इंकार किया है कि हिरोंदाबाई को चोट कैसे आयी नहीं बता सकती। घटना के समय आरोपी के पास कुल्हाड़ी नहीं थी इंकार किया है।

8. **त्रिलोक धुर्वे (अ.सा.4), मिट्ठन सिंह (अ.सा.7)** अनुश्रुत साक्षी है, जिनके कथन लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

9. **डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.5)** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.01.2013 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक खुशयाल सिंह कमांक 658 ने श्रीमती गणेशीबाई पति मिथुन आयु 30 वर्ष निवासी टिकरिया जिला मण्डला को लाने पर चिकित्सीय परीक्षण किया था। जॉच में मात्र इनसाईज्ड इंजुरी, कटी-फटी चोट 3 गुणा 1/4 इंच हड्डी तक गहराई नियमित किनारे भूरापन लिए थी। वह चोट दाहिनी पीठ पर शोल्डर ज्वाइंट के नीचे थी। पद कमांक 2 में साक्ष्य दी है कि उसी दिन उसी आरक्षक को हिरोंदाबाई निवासी हर्राटोला संजारी को लाने पर परीक्षण किया था।

10. आहत के बाएं चेहरे पर 4 गुणा 1/4 इंच की हड्डी तक गहराई लिए हुई नियमित किनारे भूरापन लिए चोट थी, 1 गुणा आधा इंच का सिर के अग्र भाग पर बायीं ओर गुमड़ा था तथा आधा इंच गुणा आधा इंच आकार का गुमड़ा बायीं भुजा पर बाहर की ओर था। उक्त सभी चोटें 12-20 घंटे की अवधि की थी, चोट में टांके लगाए गए थे। आहतों को भर्ती किया था। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 3 और प्र.पी. 4 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। हिरोंदाबाई का एक्सरे परीक्षण कराया था, रिपोर्ट प्र.पी. 5 है। गणेशीबाई की एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि पाई गई चोटें पुरानी थी। पाई गई सभी चोटें साधारण प्रकृति की थीं।

11. **दिनेश पॉल (अ.सा.6)** अन्वेषण अधिकारी है, की प्रक्रिया बाबद् साक्ष्य है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि साक्षियों के कथन अपने मन से लिखे हैं। यह इंकार किया है कि नक्शा, जप्ती की कार्यवाही थाने में बैठकर की है। यह इंकार किया है कि उसने झूठा मामला बनाया है।

12. अपीलार्थी की ओर से किए गए तर्क को विचार में लिया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष आयी साक्ष्य में हिरोंदाबाई (अ.सा.1), गनेसीबाई (अ.सा.2) तथा डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.5) की साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी से हिरोंदाबाई और गनेसीबाई को चोट कारित किए जाने के बिंदु पर आयी साक्ष्य को चुनौती नहीं दी है। अखण्डनीय साक्ष्य के आधार

पर धारा 324, 324 भा.द.वि. के अपराध बाबद अन्वेषण है और उक्त साक्षियों के कथन से प्रमाणित है।

13. अपीलार्थी ईतवारी की ओर से किए गए तर्क कि साक्षियों ने अभियुक्त के साथ हिरोंदाबाई का जमीनी विवाद होना स्वीकार किया है, इसलिए अपीलार्थी को झूठा आलिप्त किया जाना निवेदन किया है। हिरोंदाबाई और गनेशीबाई को आयी चोटों की पुष्टि चिकित्सक साक्षी के कथन से होती है। उपलब्ध साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार नहीं है। संदेह करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है। बल्कि जमीनी विवाद होने के कारण अभियुक्त द्वारा आहत हिरोंदाबाई को कुल्हाड़ी से मारने का हेतुक प्रमाणित पाया जाता है। साथ ही बीच बचाव करने आयी गनेशीबाई को भी अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से पीठ पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित होता है। प्रस्तुत अपील के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.03.2016 में तथ्य की भूल नहीं की है, साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है एवं विधि की कोई भूल नहीं की है, इसलिए हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

14. अपीलार्थी की ओर से अंतिम तर्क के समय श्री राजकुमार सोनकुसरे अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उस दशा में मामले में पारित कारावासीय दण्ड को क्षमा किए जावे और मुनासिब अर्थदण्ड से दंडित किया जावे, के बिंदु को विचार में लिया गया।

15. धारा 324 भा.द.वि. के अपराध हेतु 03 वर्ष तक के कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय होना लेख है। मामले में आहत और अपीलार्थी सगे रिश्तेदार हैं। उनके मध्य और वैमनश्यता न बढ़े। साथ ही अपराध की पुनरावृत्ति न हो। इस दृष्टिकोण से कारावासीय दण्ड से दंडित किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी पक्ष के निवेदन पर और पक्षकारों के मध्य के भविष्य के संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए आलोच्य निर्णय में पारित निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है तथा पारित दण्ड में आंशिक संशोधन करते हुए कारावासीय दण्ड समाप्त कर आहत हिरोंदाबाई के विरुद्ध धारा 324 भा.द.वि. के किए गए अपराध

हेतु 5,000/—(पांच हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 09 माह का साधारण कारावास पृथक् से भुगताया जावे तथा आहत गनेशीबाई के विरुद्ध धारा 324 भा.द.वि. के किए गए अपराध हेतु 5,000/—(पांच हजार) रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 09 माह का साधारण कारावास पृथक् से भुगताया जावे

16. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर परिणाम दर्ज करने हेतु भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।
सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

मेरे डिक्टेसन पर टंकित
किया गया।
सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर